ऑन लाईन नं. RCMS 2018/00179

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 26/2018

1. जनकराज पुत्र श्री रतनाराम जाति कुम्हार निवासी खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. संदीप कुमार पुत्र ठाकरराम जाति कुम्हार खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. अध्यक्ष, प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश/प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 26.07.2018 पंचायत समिति सादुलशहर जिसकी रूह में निगरानीकर्ता जनकराज का आवंटन शुदा अहाता नम्बर डी/163 ब भाग का आवंटन रद्द किया गया है इस आदेश दिनांक 26.07.2018 को निरस्त करने हेतू।

उपस्थित :–

1. श्री इकबाल सिंह सिधु अधिवक्ता निगरानीकर्ता अनुपस्थित
2. श्री मोहन लाल माहर अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता

:: आदेश :: **दिनांक: 12.03.2021**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पंचायत समिति सादुलशहर द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 61(3)में प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुऐ ग्राम पंचायत सादुलशहर ने निगरानीकर्ता के अहाता संख्या डी/163 ब का पट्टा निरस्त कर दिया है जबकि धारा 61(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में कार्यवाही के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अपील पंचायत समिति में तीन दिन के भीतर दाखिल की जानी आवश्यक है जिस पर दुसरे पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित किया जाना था परन्तु मातहत न्यायालय ने एकतरफा तौर पर निगरानीकर्ता को बिना सुने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त अहाता का पट्टा निरस्त किया है जो कि विधि के प्रावधानों का खुला उल्लांघन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 61(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में पंचायत समिति केवल आदेश/निदेश के 30 दिन के अन्दर ही अपील हो सकती है यह कि अपील के लिए मियाद से बाहर थी पंचायत समिति मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जानी चाहिये थी पंचायत समिति द्वारा निगरानीकर्ता का आवंटन दिनांक 07.06.1981 से 38 साल बाद निरस्त किया गया है जो कि पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार से बाहर है। राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम की धारा 61 (3) के अनुसार प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जावेगा जबकि इस प्रकरण में निगरानीकर्ता का कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। पंचायत समिति पदमपुर द्वारा अपील के निस्तारण में कानूनी प्रकिया की पालना नहीं की है अपील के सम्बन्ध में

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

नाम से ग्राम पचायत खाटसजवार द्वारा प्लाट न0 डी/163 ...

दिये गये प्रावधान धारा 93–99 सीपीसी व आदेश 41 की पालना नहीं की गई है। सचिव ग्राम पंचायत खाटसजवार की रिपोर्ट दिनांक 18.05.2018 के अनुसार पट्टा नम्बर डी/163 के पट्टा, संकल्प संख्या, आज्ञा संख्या, साईज आदि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जब पंचायत के पास कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो मातहत न्यायालय ने बिना किसी आधार पर उक्त अहाता को सार्वजनिक गली का क्षेत्र मान लिया गया है जो कि विधि विरूद्व है बिना किसी आधार के निगरानीकर्ता का पट्टा खारिज किया गया है। ग्राम पंचायत खाटसजवार द्वारा निगरानीकर्ता के उक्त भूखण्ड का प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.02.2018 को नवीनीकरण किया गया है जबकि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त आहाता ग्राम पंचायत खाटसजवार से दिनांक 07.06.1981 को निलामी में खरीद किया है जिसका ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय विलेख जारी किया गया है निलामी की राशि रसीद संख्या 77 से जमा हुई है चूंकि अहाता का विक्रय ग्राम पंचायत द्वारा कर दिया गया है उसके बाद नवीनीकरण का कोई प्रावधान पंचायत अधिनियम में नहीं है। संदीप कुमार द्वारा जो अपील की गई है वह अहाता संख्या डी/163 ब के अलॉट/नवीनीकरण के विरूद्व की गई है जब पंचायत अधिनियम के तहत नवीनीकरण का कोई प्रावधान ही नहीं है तो उसकी अपील भी क्षेत्राधिकार के वाहर की है एक बार भूमि का विक्रय होने पर उसका नवीनीकरण करने की पंचायत को कोई अधिकारिता नहीं है। निगरानीकर्ता का अहाता का विक्रय पुराने अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत हुआ है अब राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 को लागु हुआ है जबकि निगरानीकर्ता का आवंटन इससे पूर्व का है जो कि किसी भी सूरत में निरस्त नहीं किया जा सकता है। निगरानीकर्ता का इन अहातो पर करीब 38 सालो से लगातार कब्जा चला आ रहा है जिसे इतने वर्षो बाद विक्रय निरस्त नहीं यिा जा सकता है और ना ही पंचायत समिति को इतने सालो बाद निरस्त करने की शाक्तियों है। संदीप कुमार ने दिनांक 10.08.2018 को एक प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी सादुलशहर को इस आश्य का प्रस्तुत किया कि मेरा उक्त प्लाट के सम्बन्ध में जनक कुमार के साथ राजीनामा हो गया है इस प्लाट के सम्बन्ध में मुझे किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है इसलिए प्लाट को पुनः बहाल किया जावे जिस पर विकास अधिकारी ने कोई विचारा नहीं किया है। लिहाजा निगरानी स्वीकार की जाकर पंचायत समिति सादुलशहर का आदेश कमांक 2912/प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 02.08.2018 को निरस्त किया जावें।

निगरानी से सबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता को बार–बार आवाजे लगाई गई। उपस्थित नहीं आये।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति सादुलशहर ने अपील संख्या 01/2018 निर्णय दिनांक 02.08.2018 निगरानीकर्ता जनकराज पुत्र रतनाराम के नाम से ग्राम पंचायत खाटसजवार साईज 63.06X15 का जो जारी किया गया है वह सार्वजनिक गली क्षेत्र का होने के कारण खारिज किया गया। जिसमें जनक राज स्वयं को नोटिस जारी कर तलब किया जो बावजूद तामिल उपस्थित नहीं आया। अतः सावर्जनिक गली क्षेत्र का पट्टा जारी होने के कारण अपने आदेश दिनांक 02.08.2018 से प्रस्ताव संख्या 04 पास किया जाकर विधिवत् प्रकिया अपनाई जाकर खारिज किया गया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जाकर विकास अधिकारी पंचायत समिति सादुलशहर का आदेश दिनांक 02.08.2018 बहाल रखा जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) न्यायालय श्रीगंगानगर (राज.)

नाम से ग्राम पंचायत

6

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि निगरानीकर्ता को बार–बार आवाजे लगाने के बावजूद वह उपस्थित नहीं हुआ। निगरानीकर्ता का अपनी निगरानी में यह कथन कि उसे सुना नहीं किया सरसर गलत है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नोटिस कमांक 2614 दिनांक 25.07.2018 स्वयं जनकराज पुत्र रतनाराम पर तामिल हुआ जिस पर नोटिस प्राप्ति के हस्ताक्षर स्वयं जनकराज के है। प्रथम दृष्टया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नक्शा प्रति के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि पट्टा संख्या डी/163 ब भाग का पट्टा सार्वजनिक गली का क्षेत्र है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाकर विकास अधिकारी पंचायत समिति सादुलशहर का आदेश दिनांक 02.07.2018 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति सादुलशहर एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 12.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय श्रीगंगानगर (राज.)